

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा
श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा
जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्य0 अभि0, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा
कार्य0अभि0, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा
कार्य0अभि0, झूडा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज
कार्य0अभि0, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्य0अभि0, ग्रामीण कार्य
प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्य0अभि0, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा
प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा
जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा
कार्य0अभि0, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा / कार्य0अभि0,
जल निस्सरण प्रमण्डल, कोपरिया / कार्य0अभि0,, काडा /उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा
डी0पी0एम0, कोशी पुनर्वास, मधेपुरा /अभिहित अधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा
औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, मधेपुरा
डी0पी0एम0, कौशल विकास केन्द्र, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (सिंहेश्वर/
शंकरपुर/ गम्हरिया/ग्वालपाड़ा को छोड़कर)/सभी अंचलाधिकारी (सिंहेश्वर, घैलाढ़, ग्वालपाड़ा एवं
पुरैनी को छोड़कर)

मधेपुरा, दिनांक 24/11/16

विषय : दिनांक 22-11-2016 को आयोजित सोमवारीय बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं
कराने के निमित्त स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 22-11-2016 को अधोहस्ताक्षरी की
अध्यक्षता में सोमवारीय बैठक आयोजित थी, जिसमें आपके विभाग/ कार्यालय से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की
समीक्षा की जाती है।

विदित हो कि उक्त सोमवारीय बैठक से संबंधित विहित प्रपत्र पूर्व में आप लोगों को उपलब्ध
कराया गया है, जिसमें वांछित प्रतिवेदन तैयार कर प्रत्येक शनिवार की संध्या तक जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा में ई-मेल / फैक्स /वाट्सप /विशेषदूत के माध्यम से भेजने का निदेश पूर्व में दिया गया था,
परन्तु आप लोगों के द्वारा ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्त के 24 घंटा के अंदर अपना-अपना स्पष्टीकरण
समर्पित करें कि किस परिस्थिति में आप लोगों के द्वारा सोमवारीय बैठक से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी
को ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया।

विश्वीसभाजन
जिलाधिकारी
मधेपुरा।